

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा।

विविध वाद सं०-117/2018-19

गोपाली यादव वगै० बनाम हरी यादव वगै०

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15/02/23	आवेदक गोपाली यादव, बितारी यादव, फुनु यादव, पिता-स्व० थानु यादव एवं अन्य के द्वारा ग्राम-पैनीकला, थाना-वशिष्टनगर जोरी, हण्टरगंज, जिला-चतरा के खाता संख्या-78, प्लॉट संख्या-548, रकबा-5.01 एकड़ भूमि के संदर्भ में विपक्षी के पिता मेघन यादव के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने तथा आवेदकगण के नाम पक्ष में जमाबंदी को नियमित करने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर किया गया। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकार को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षकार के द्वारा लिखित कथन समर्पित है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि-“ आवेदकगण ग्राम-पैनीकला के निवासी है तथा कृषि कार्य के माध्यम से अपना जिवीका अर्जन करते हैं। यह है कि मौजा-पैनीकला, अचल-हण्टरगंज के खाता संख्या-78, प्लॉट संख्या-548, रकबा-05.01 एकड़ भूमि सर्वे में गैरमजरूआ खास दर्ज है जो रामगढ़ राज के अन्तर्गत था। यह है कि आवेदकगण के पूर्वज हुसैनी रामधन गोप एवं हुसैनी गोप, पिता-तुफानी गोप के द्वारा पूर्व जमीन्दार की अनुमति से भूमि को कृषि योग्य तैयार किया गया। आवेदकगण के पूर्वज को भूमि पूर्व जमीन्दार से हुकुमनामा एवं फर्द	

अमीन रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त है। हुकुमनामा एवं फर्द अमीन रिपोर्ट के आधार पर सलामी लेकर पूर्व जमीन्दार के द्वारा रामधन गोप एवं हुसैनी गोप को दखल कब्जा दे दिया गया। आवेदकगण के पूर्वज जमीन पर दखलकार होकर विभिन्न प्रकार के फसल उगाकर उपभोग में लाते रहें हैं। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद आवेदकगण के पूर्वज के द्वारा बी०डी०ओ०-सह-अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के समक्ष जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन दायर किया गया। अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। जांच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया गया तथा सरकार लगान रसीद निर्गत हुआ। यह है कि आवेदकगण के पूर्वज शिक्षित नहीं थे इसलिए लगातार रसीद निर्गत नहीं करवा सके। आवेदकगण जब राजस्व कर्मचारी के पास लगान देकर रसीद कटवाने गये तो पता चला कि विपक्षी के पिता मेघन यादव के नाम से जमाबंदी कायम हो गया है। इसके पश्चात् अंचल अधिकारी के कार्यालय से जानकारी करने पर पता चला कि पंजी-2 में जमाबंदी कायम है। यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा कभी भी का त्याग अथवा बिक्री नहीं किया गया है। इस तरह से विपक्षी का कायम जमाबंदी अवैध है। विपक्षी का कभी भी प्रश्नगत भूमि पर दखलकब्जा नहीं रहा है। आवेदकगण के पूर्व एवं आवेदकगण इस भूमि पर लगभग 150 वर्षों से दखलकार रहते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष के विज्ञा अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने तथा प्रथम पक्ष के नाम से जमाबंदी नियमित करने हेतु आदेश पारित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष के आवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है।

उभय पक्षों के द्वारा इस वाद में न ही उपस्थिति दर्ज (लम्बे समय से अनुपस्थित) की जा रही है और न ही रुचि ली जा रही है।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के द्वारा निर्गत विभिन्न पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020, पत्रांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016, पत्रांक-2861/रा0, दिनांक-08.06.2017, पत्रांक-6144/रा0, दिनांक-21.12.2017 एवं 2884/रा0, दिनांक-10.07.2018 एवं 6205/रा0, दिनांक-27.12.2017 के माध्यम से अवैध जमाबंदी को रद्द करने तथा नियमित करने एवं अन्य से संबंधित मामले पर दिशा-निर्देश प्राप्त है।

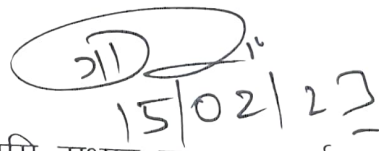
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही भूमि के किस्म के अनुसार अग्रतर कार्रवाई करना है। अतः अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर ॥ एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए नियमसंगत/विधिसम्मत अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को अग्रतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।